प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रॉक– /अ0आ0(लेखा)/2012 दिनॉक ९, मई, 2012

विषय–जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के वित्तीय वर्ष 2011–12 के वार्षिक लेखों के सम्प्रेक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पैनल गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या–डी–253/38–2–2012–आई0आर0डी0–8/89टी0सी0–।। दिनांक 3 मई 2012 द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के वित्तीय वर्ष 2011–12 के वार्षिक लेखों का सम्प्रेक्षण कार्य वर्ष 2009–10 हेतु अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पैनल से ही कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के वित्तीय वर्ष 2011–12 के वार्षिक लेखों के सम्प्रेक्षण का कार्य तथा जनपद की दो ग्राम पंचायतें नामित कर उनका भी सम्प्रेक्षण कार्य विलम्बतम 31 अगस्त, 2012 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का पैनल पूर्व में ही इस कार्यालय के पत्रांक 51/अ0आ0(लेखा)/2010 दिनांक 26 अगस्त 2010 द्वारा आपको प्रेषित किया जा चुका है।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रॉक– १२१ /अ0आ0(लेखा)/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
2– समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3– समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

(अनुराग श्रीवास्तव)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।